प्रेस विज्ञप्ति

पंचायत उप निर्वाचन,2025

दिनांक-08.07.2025

राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार हमेशा की तरह पंचायत उप निर्वाचन 2025 को पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आयोग मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी,भयमुक्त,उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकी नवप्रवर्तन जैसे ईवीएम से मतदान, मतदाता के सत्यापन हेतु एफआरएस (फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम) का उपयोग, मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।साथ ही पोल्ड EVM को ब्रजगृह मे डिजिटल लोक एवं लाईव वेबकास्टिंग के निगरानी मे रखा जाएगा।

दिनांक 09 जुलाई 2025 को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक राज्य के 38 जिलों मे कुल **403** पदों यथा ग्राम पंचायत सदस्य के **174** पद, ग्राम कचहरी पंच के **36** पद, ग्राम पंचायत मुखिया के **61** पद, पंचायत समिति सदस्य के **56** पद, ग्राम कचहरी सरपंच के 70 पद एवंजिला परिषद सदस्य के6 पद पर चुनाव कराए जाएंगे।

पंचायत उप निर्वाचन2025 के निर्वाचन से संबंधित जानकारी निमन्वत है:-

मतदान कराये जाने हेतु पदों की कुल संख्या	403
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	1249
निर्वाचन लड़ने वाले पुरूष अभ्यर्थियों की कुल संख्या	694
निर्वाचन लड़ने वाले महिला अभ्यर्थियों की कुल संख्या	555
कुल मतदाताओं की संख्या	1845668
पुरूष मतदाताओं की संख्या	965435
महिला मतदाताओं की संख्या	880181
अन्य मतदाताओं की संख्या	52
कुल मतदान केन्द्रो की संख्या	3381
निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की कुल संख्या	1452

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा 131 के निहित प्रावधान के आलोक मे दिनांक 09.07.2025 को पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के मतदान हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा संबन्धित निर्वाचन क्षेत्र मे सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

पंचायत उप निर्वाचन2025 हेतु मतगणना दिनांक 11 जुलाई 2025 को प्रातः 8:00 बजे से निर्धारितहै।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार

शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान के लिए की गयी व्यवस्था

पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दौरान मतदान प्रक्रिया की सफलतापूर्वक संचालन के लिए मतदान केन्द्रों पर **3381** पीठासीन पदाधिकारी और मतदान दल में कुल **13524** मतदान कर्मी सेवा में संलग्न रहेंगे, जिसमे मतदान दल के P3 के रूप में प्रतिनियुक्त की गयी है, जो तकनीकी कर्मी है। इनके द्वारा एफ़. आर. एस द्वारा मतदाता सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

मतदान केन्द्रों पर बलों की प्रतिनियुक्ति शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान सम्पन्न कराने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सुरक्षा पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिसमें **5091** पुलिस पदाधिकारी एवं **18349** पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

मतदाता सत्यापनः बोगस वोटिंग रोकने हेतु पूर्व निर्वाचनों की भांति प्रत्येक मतदान केन्द्र पर FRS (फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम) से मतदाता का सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई मतदाता दुबारा मतदान करने आता है तो सत्यापन के क्रम में उसकी पहचान हो जायेगी।

लाईव वेबकास्टिंगः प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सकें। वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग प्रखंड /जिला/आयोग स्तर पर गठित कंट्रोल रूम से लगातार की जाएगी।

कंट्रोल रूम का गठन: मतदान केन्द्र पर किसी भी गड़बड़ी की जानकारी, मतदाताओं की शिकायत आदि का अनुश्रवण प्रखंड /जिला/आयोग स्तर पर गठित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के दौरान किया जायेगा।

अन्य आवश्यक सुविधाएं

- **आयोग की वेबसाईट पर निर्वाचन से संबंधित दिशा-निर्देश उपलब्धः** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर निर्गत दिशा-निर्देशों और निर्वाचन प्रक्रिया के मानकों के अनुसार ही पंचायत उप निर्वाचन 2025 भी सम्पन्न कराया जायेगा। निर्वाचन संबंधित सभी अद्यतन दिशा- निर्देश आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
- **अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन सुविधा:** कोई भी अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- **मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा:** कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचक सूची में अपना नाम, मतदान केन्द्र का पता, मतदान का कार्यक्रम एवं अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **टोल फ्री नंबर की सेवाः** इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर- **1800-3457-243** पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

Scanned with OKEN Scanner